रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179132022A11150017
पंजीकरण की तिथि	18/11/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	21/11/2022
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	7500934
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	10658000
पंजीयन शुल्क (रूपये)	225029
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	873600
उप पंजीयक का नाम	Anjali Mishra
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

विक्रेता - प्रमाणीकृत पीओए धारक

संगठन का नाम: इन्दौर विकास प्राधिकरण
अधिकृत व्यक्ति का नाम: जसवंत सिंह सोलंकी
पता: 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

संगठन का नाम: इन्दौर विकास प्राधिकरण
अधिकृत व्यक्ति का नाम: श्री मनीष श्रीवास्तव
पता: 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

खरीदार- स्वयं

नाम: धमेन्द्र बत्रा
पिता/पति का नाम: स्व.श्री शान्तिप्रकाश बत्रा
पता: फ्लेट नंबर सी-102/4/बी.एच.के., आनंदवन फेज-2, योजना क्रमांक 140, इन्दौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

CERTIFIEDCOPY0902202387671524

MP179132022A11150017 | 01011711112022018169

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011711112022018169		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	873600		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	406618	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	319740
जनपद ड्यूटी (रुपए)	106580	उपकर राशि (रुपए)	40662
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	11/11/2022 18:37:33		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	bheem singh devdeliya/SP011743208201700001		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	298/3 ram krishna bag indore इन्दौर इंदौर		

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिखत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तिविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमे से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत |
उद्देश्य	भू-स्वामी अधिकार विलेख

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	श्री मनीष श्रीवास्तव द्वारा(प्रमाणीकृत मुख्त्यार) जसवंत सिंह सोलंकी
पता	7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	धर्मेन्द्र बत्रा
पता	फ्लेट नंबर सी-102/4/बी.एच.के., आनंदवन फेज-2, योजना क्रमांक 140, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 140 हाईराईज (आनंदवन फेज-2) के अधीन आवासीय प्रकोष्ठ उपयोग के सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के. के लिये भू-स्वामी अधिकार विलेख प्रथमपक्ष - इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वितीयपक्ष - श्री धर्मेन्द्र बत्रा पिता स्व. श्री शान्तिप्रकाश बत्रा

CERTIFIEDCOPY0902202387671524

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सम्पत्ति का अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि रु. 1,06,58,000/-

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 140 हाईराईज (आनंदवन फेज-2) के अधीन आवासीय प्रकोष्ठ उपयोग के सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के. के लिये भू-स्वामी अधिकार विलेख

संदर्भ क्रमांक - 14021761
जावक क्रमांक : 4290 दिनांक : 09.11.2022

यह भू-स्वामी अधिकार विलेख निम्न पक्षकारों के मध्य आज दिनांक 09 माह 11 वर्ष 2022 को निष्पादित किया गया।

1. इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा उसके सम्पदा अधिकारी के माध्यम से, जिसे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है, जो प्राधिकरण की हैसियत में (जिसे इसमें इसके पश्चात विकास प्राधिकरण (विप्रा) या भू-स्वामित्व अधिकार प्रदाता के नाम से निर्दिष्ट है जो अभिव्यक्ति जब तक वह प्रसंग या उसके किसी अर्थ के अन्तर्गत प्रसंग के प्रतिकूल या विसंगतिपूर्ण न हो, में उसके प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति तथा अभिहस्तांकिती, आदि सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्षकार होगा; और

2. श्री धमेन्द्र बत्रा पिता स्व. श्री शान्तिप्रकाश बत्रा, निवासी - फ्लेट नंबर 402, चतुर्थ मंजील पार्श्वनाथ एक्जोटिका, गोल्फ कोर्स रोड आई.बी.आई.एस. होटल के पास सेक्टर-53, गुडगांव, हरियाणा, (इसमें इसके पश्चात भू-स्वामित्व अधिकार गृहिता कहा गया है, जो अभिव्यक्ति जब तक वह संदर्भ या उसके किसी अर्थ के अन्तर्गत संदर्भ के प्रतिकूल या विसंगतिपूर्ण न हो, में उसके प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति तथा अभिहस्तांकिती, आदि सम्मिलित होंगे।) द्वितीय पक्षकार होगा।

(प्रथम तथा द्वितीय भाग के प्रत्येक पक्षकार को वैयक्तिक तौर पर पक्षकार (Party) तथा संयुक्त रूप से ''पक्षकारगण (Parties)'' कहा गया है)

यत:

क. यह कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 38/64 के अधीन स्थापित इन्दौर विकास प्राधिकरण, एक नगर तथा ग्राम निवेश/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जिसे अधिनियम की धारा 39 के अधीन निगमित निकाय के रूप में संस्थापित किया गया है। प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 38(2) के उपबन्धों के अनुसार, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ, विकास योजना और स्कीम को लागू करने के लिये, आवासीय, वाणिज्यिक तथा अधोसंरचना विकास के माध्यम से नगर का विकास कर रहा है।

ख. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियो का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018 के नियम 8 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर द्वितीय पक्षकार द्वारा भुगतान की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति के अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा की जाने उपरांत प्राधिकरण द्वारा निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार ग्राही (Allotee) को सम्पत्ति का आवंटन-पत्र जारी किया गया तथा ग्राही के द्वारा अनुबन्ध-पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

ग. (1) सम्पत्ति की सम्पूर्ण अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि रुपये 1,06,58,000/- (अक्षरी रूपये एक करोड छ: लाख अट्ठावन हजार मात्र) के मूल्य का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप, ग्राही ने इन्दौर विकास प्राधिकरण को सम्पत्ति आवंटन के उद्देश्य से योजना क्रमांक 140 हाईराईज (आनंदवन फेज-2) के अन्तर्गत सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के. जिसका अधिमापन 230.09 वर्गमीटर है, का भू-स्वामी अधिकार स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है तथा तदनुसार उक्त सम्पत्ति का आवंटन भी किया जा चुका है।

(2) भू-स्वामी अधिकार धारी द्वारा निम्न मदों में भी राशि जमा की गई है।
अ. संधारण शुल्क - 130000
ब. सिंकिंग फण्ड - 125000
स. क्लब सदस्यता शुल्क - 200000

घ. ग्राही को सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के. का आधिपत्य दिनांक 08.04.2022 को सौंपा जा चुका है। उक्त सम्पत्ति का परिशुद्ध क्षेत्रफल (Accurate area) सुपर बिल्ट अप एरिया 230.09 वर्गमीटर, बालकनी एरिया 28.30 वर्गमीटर एवं कारपेट एरिया 144.70 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की चतुर्भुजीय सीमा (quadrangular boundary) विवरण निम्नानुसार संलग्न स्थल मानचित्र में लाल रंग में प्रदर्शित किया गया है, जो परिशिष्ट ''अ'' के रूप में इस विलेख का अंग होगा:

-::सम्पत्ति की चतुर्भुजीय सीमा::-

पूर्व में	-	ओपन, योजना क्रमांक 140
पश्चिम में	-	फ्लेट क्रमांक सी-101/योजना क्रमांक 140 एवं कारीडोर
उत्तर में	-	ओपन, योजना क्रमांक 140
दक्षिण में	-	कारीडोर

ङ. अतएव, इस प्रयोजन से तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार, इन्दौर विकास प्राधिकरण ग्राही को भू-स्वामी अधिकार निम्न दर्शाये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा स्थापित तथा स्वीकृत प्रक्रियाओं/नियमों/विनियमों के अनुसार योजना क्रमांक 140 हाईराईज (आनंदवन फेज-2) के अन्तर्गत सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के. जिसका अधिमापन 230.09 वर्गमीटर है, का भू-स्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु सहमत है।

अतएव, इस भू-स्वामी अधिकार विलेख में वर्णित पूर्ववर्ती तथा तत्संबंधी अनुबन्धों तथा सम्मतियों के प्रतिफल में जैसा कि इन्हें इस भू-स्वामी अधिकार विलेख में वर्णित किया गया है तथा अन्य प्रतिफल, जिसकी प्राप्ति, पर्याप्तता तथा समुचितता एतदद्वारा स्वीकार की गई है तथा जिसका आशय इसे कानूनी तौर पर बंधित

करने से है, पक्षकार निम्नानुसार अपनी सहमति व्यक्त करते हैं:-

निबंधन तथा शर्तें (Terms and Conditions)

1. इंदौर विकास प्राधिकरण द्वितीय पक्षकार को पूर्ण स्वामित्व अधिकार विलेख के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार योजना क्र. 140 आनंदवन फेज-2 के बहुमंजिला भवन में प्रकोष्ठ एवं अनुपातिक भूमि को पूर्ण स्वामित्व अधिकार पर अंतरित कर रहा है।

2. सम्पति द्वितीय पक्षकार को प्रारंभिक रूप से आवासीय उपयोग हेतु आवटित की गई है। आवंटित सम्पत्ति के नामोद्दिष्ट उपयोग में कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुज्ञेय नही किया जाएगा।

3. द्वितीय पक्षकार शासन, नगर पालिक निगम अथवा अन्य सांविधिक निकाय द्वारा अधिरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरो/प्रभारों के भुगतान हेतु सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि से उत्तरदायी होगा।

4. यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा सम्पत्ति का उपयोग उसके नामोद्दिष्ट उपयोग से पृथक किया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर सम्पन्न की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में, द्वितीय पक्षकार किसी सांविधिक अथवा कोई शासकीय संस्था द्वारा उस पर अधिरोपित किसी भी कार्यवाही या अर्थदण्ड के भुगतान अथवा दोनों का भी दायी होगा।

5. द्वितीय पक्षकार सेवा संयोजनों से संबधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

6. द्वितीय पक्षकार विद्युत संयोजन प्राप्ति हेतु तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

7. द्वितीय पक्षकार सम्पत्ति के आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि से आवंटित प्रकोष्ठ (फ्लेट) के संधारण, संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा।

8. द्वितीय पक्षकार किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और/या बाजू की सम्पत्तियों के रहवासियों अथवा आमजन की शान्ति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

9. द्वितीय पक्षकार इस हस्तांतरण विलेख का पंजीयन अपने खर्च से प्राधिकारी द्वारा प्रारूप जारी करने के दिनांक से तीन माह की समयावधि में कराएगा।

10. इस हस्तांतरण विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की दिनांक के पश्चात से भू-स्वामी अधिकार की जा रही संपत्ति की आनुपातिक भूमि के संबंध में निर्धारित भू-राजस्व की दर से वार्षिक डायवर्शन टेक्स का भुगतान करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का रहेगा।

11. द्वितीय पक्षकार को प्राधिकरण अथवा मध्य प्रदेश सरकार अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विरचित विभिन्न नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. द्वितीय पक्षकार को, म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बहुमंजिला भवन के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुधार की सुविधाएं और सेवाओं की व्यवस्था हेतु योजना क्र. 140 आनंदवन फेज-2 के बहुमंजिला भवन के प्रकोष्ठधारीयो द्वारा आनंदवन फेज-2 वेलफेयर एसोसिएशन संस्था का गठन कर उसका सदस्य बनना आवश्यक होगा।

13. शर्त क्रमांक 12 के क्रम में योजना क्र. 140 आनंदवन फेज-2 के बहुमंजिला भवन के परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुधार की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन द्वितीय पक्षकार को करना होगा।

14. द्वितीय पक्षकार को कार पार्किंग क्रमांक 53 आवंटित किया गया है।

15. द्वितीय पक्षकार द्वारा बहुमंजिला भवन के कॉमन एरिया, लिफ्ट, गार्डन, टेरेस, पार्किंग इत्यादि का अवैधानिक उपयोग अथवा अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा।

16. द्वितीय पक्षकार को आवंटित सम्पत्ति के किसी भाग के संरचनात्मक भागों में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह उसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।

17. यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या सेना या अन्य किसी दुर्घटना के कारण क्षति होती है जो मानव नियन्त्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण है तो इसके लिये हुई किसी क्षति को द्वितीय पक्षकार को ही वहन करना होगा।

18. संधारण शुल्क :
(अ) योजना क्रमांक 140 आनंदवन फेज-2 बहुमंजिला भवन का (Completion Certificate) कम्पलीशन प्रमाण पत्र क्रमांक 2006 एवं 2008 दिनांक 04.03.2021 एवं (Occupency Certificate) अधिभोग प्रमाण पत्र क्रमांक 196 एवं 198 दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्राप्त हो चुका है। प्रथम कब्जा सौंपे जाने की दिनांक 01.07.2021 से दो वर्ष अर्थात दिनांक 30.06.2023 तक बहुमंजिला भवन के संधारण का कार्य जैसे कॉमन परिसर की हाउस कीपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का कार्य प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। उक्त 02 वर्ष की अवधि के दिनांक 30.06.2023 के पश्चात संधारण का कार्य आनंदवन फेज-2 रहवासी समिति द्वारा शर्त क्रमांक 12 एवं 13 के क्रम में किया जावेगा।

(ब) आवंटिती को आनंदवन फेज-2 रहवासी समिति की सदस्यता अनिवार्यत: स्वीकार्य करना होगी। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शुल्क आवंटिती को आवश्यक रूप से जमा करना होगा। निर्धारित मासिक शुल्क अदा नहीं करने पर समिति इस संबंध में विधीनुरूप निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

19. सिंकिंग फण्ड:
शर्त क्र. 12 व 13 योजना क्रमांक 140 आनंदवन फेज-2 बहुमंजिला भवन के कॉमन परिसर की हाउस कीपिंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्यों के लिये सिंकिंग फण्ड पंजीकृत आनंदवन फेज-2 रहवासी समिति को दिनांक 30.06.2023 के पश्चात हस्तांतरित किया जावेगा।

20. क्लब सदस्यता शुल्क:
(अ) भूखण्ड क्रमांक आर.सी.एम.-13 में निर्मित बहुमंजिला भवन के क्लब हाउस की सुविधाएं आनंदवन फेज-1 एवं आनंदवन फेज-2 के आवंटितियों के लिए समान रूप से रहेगी।
(ब) उपरोक्त (अ) में उल्लेखित क्लब हाउस संचालन के नियम प्रथम पक्ष द्वारा पृथक से तय किये जावेंगे जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होंगे।

21. योजना क्रमांक 140 में भूखण्ड क्रमांक आर.सी.एम.-13-14 पर निर्मित बहुमंजिला भवन ''आनंदवन फेज-2 का रेरा पंजीयन क्रमांक P-IND-18-2020 है।

यह विलेख इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के संपदा अधिकारी श्री मनीष श्रीवास्तव के व्दारा निष्पादित किया गया होकर विलेख में इनके हस्ताक्षर है तथा इनके व्दारा प्रमाणीकरण आम मुख्त्यार नामा क्रमांक MP179142022A4315550 दिनांक 25/03/2022 के तहत अधिकृत श्री जसवंत सिंह सोलंकी पिता मानसिंह सोलंकी उपपंजीयक कार्यालय इन्दौर में दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करेंगे और दस्तावेज के पंजीयन हेतु अपने हस्ताक्षर, फोटो एवं अंगुष्ठ चिन्ह लगायेंगे।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1797202208001443
संपत्ति का प्रकार	बिल्डिंग
संपत्ति का सीमा चिन्ह : --	
संपत्ति का पता : इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्रमांक 140 हाईराईज (आनंदवन फेज-2) के अधीन आवासीय प्रकोष्ठ उपयोग के सम्पत्ति क्रमांक सी-102/4/बी.एच.के.	
विकास खण्ड (विकास खंड) : --	
राजस्व निरीक्षक वृत्त : --	
लेआउट का विवरण : --	
नजूल / शीट क्रमांक : --	
भूखण्ड क्रमांक : --	

खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण

खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	ऋण पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
सी-102/4/बी. एच.के.	230.09	0	na	ओपन, योजना क्र. 140	कारीडोर	ओपन, योजना क्र. 140	फ्लेट क्र. सी-101 योजना क्र. 140 एवं कारीडोर

संपत्ति विवरण - बहुमंजिला भवन - आवासीय	
जिला	इंदौर
तहसील	इन्दौर
क्षेत्र प्रकार	नगरीय क्षेत्र
अधिशासी नगरीय निकाय : नगर निगम इंदौर	
वार्ड : वार्ड न0 50 (ब्रजेश्वरी)	
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : आनंद वन (स्कीम 140)	
फ्लैट का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	230.09
निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)*	144.69

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सर्वनिष्ठ क्षेत्रफल (वर्गमीटर)*	85.4
तल प्रकार	प्रथम मंजिल
क्या भवन पुराना है?	नहीं
क्या भवन में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है	हाँ

कुल मुद्रांक एवं छूट			
छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	873600.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	225029.0
प्रतिफल राशि (रु)		10658000	

CERTIFIEDCOPY0902202387671524

MP179132022A11150017 | 01011711112022018169

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 30474954 तथा ई-स्टाम्प कोड 010117111120220018169 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मैं/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर: संपदा अधिकारी,
नाम तथा पिता का नाम: इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:
श्री शैलेन्द्र मिश्रा पिता स्व. श्री शान्तिप्रकाश मिश्रा

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

Sunil Jain S/o Late Shreelangal Jain

गवाह 1 का नाम
पता: K-204 Ayushmaan Residency Pipalya Road Rau, Indore (MP)
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर: Aadhaar, 256833401211

गवाह 2 का नाम: [illegible]
पता: [illegible] इन्दौर
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर: 254713735479

CERTIFIEDCOPY0902202387671524

MP179132022A11150017 | 010117111120220018169

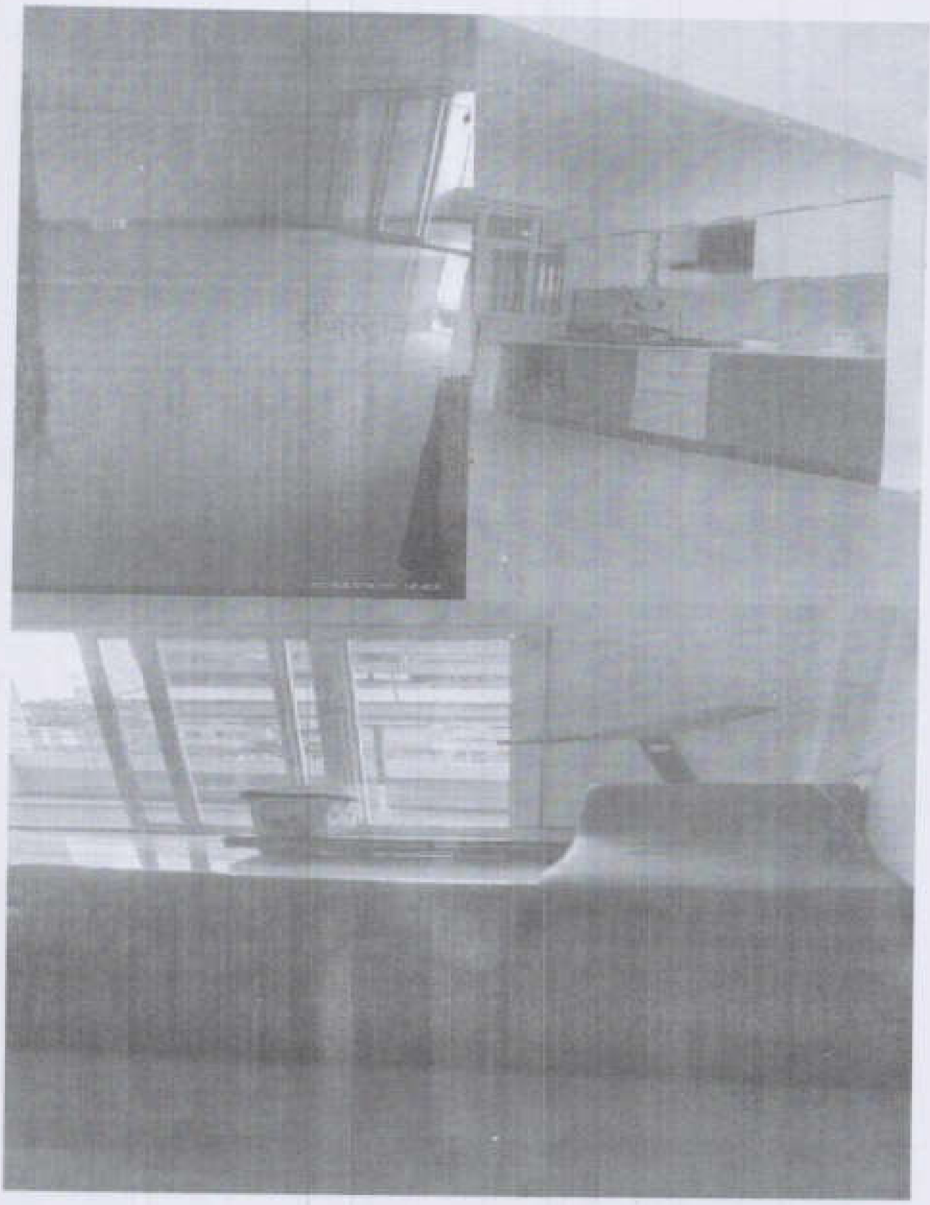

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

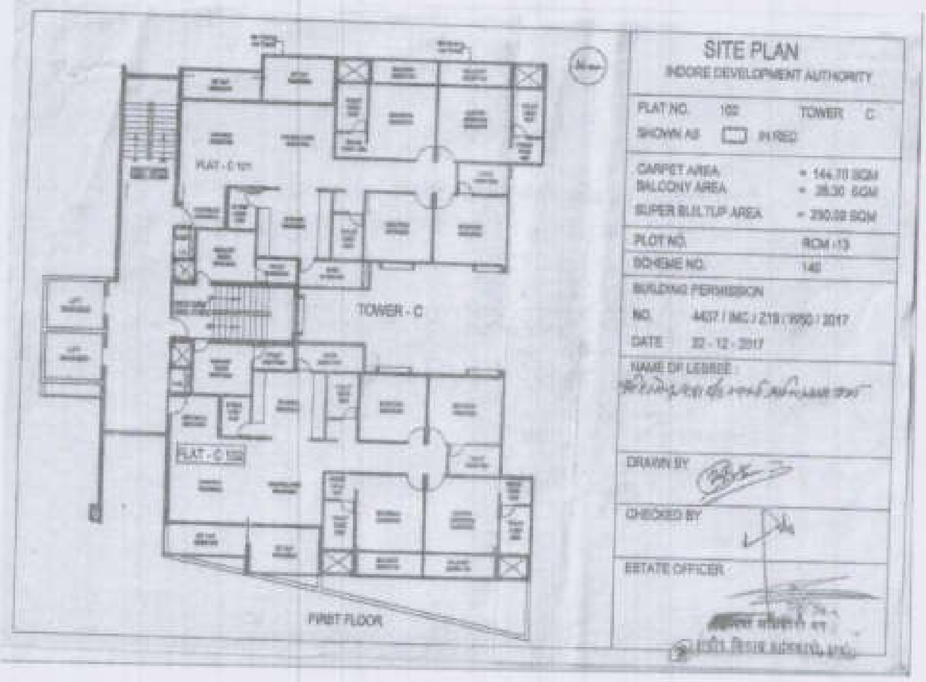

CERTIFIEDCOPY0902202387671524

MP179132022A11150017 | 01011711112022018169